

भा०कृ०अ०प० – केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर,

फा.सं. 6(71)ई/प्रशा०.प्रथम/2016/खण्ड-द्वितीय/ 2511

दिनांक 28.12.2020


परिपत्र

यह संज्ञान में आया है कि मुख्य संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी, विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कर्मी एवं अनुबंध पर कार्यरत श्रमिक/कर्मी कार्य दिवस में सुबह कार्यालय समय के बाद, दोपहर में समय से पहले, दोपहर के समय के बाद एवं कार्यालय समय समाप्ति से पूर्व आते जाते रहते हैं। जिससे विभागों/अनुभागों/परियोजनाओं के कार्यनिष्ठादान प्रक्रिया में शिथिलता आ गयी है। इस तरह के कृत्य को सक्षम अधिकारी महोदय ने बड़ी गंभीरता से लिया है।

इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारी अनुभागों से आग्रह हैं कि वे उनके विभाग/अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों, परियोजनाओं में कार्यरत कर्मियों तथा अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मिया/श्रमिकों को निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारी/अधिकारी, परियोजनाओं में कार्यरत कर्मी एवं अनुबंध पर कार्यरत कर्मी/श्रमिक अपनी ड्यूटी पर कार्यालय समय पर आने व समय पर जाने की सुनिश्चितता करें।

इस को उचित प्राथमिकता दी जावें।

यह सक्षम अधिकारी महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।


28/12/2020
(नीरज तंवर)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. मुख्य संस्थान के सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारी अनुभागों/सभी परियोजना समन्वयकों से आग्रह हैं कि उनके विभाग/अनुभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों, परियोजनाओं में कार्यरत कर्मियों तथा अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मियों/श्रमिकों को निर्देशित करें कि वे कार्यालय में कार्यस्थल पर समय पर, दोपहर से पूर्व समय, दोपहर के बाद समय एवं कार्यालय समय के समाप्ति पर आने/जाने की सुनिश्चितता कर समय की पाबन्दी के निर्देश की अविलम्ब अनुपालना करें।
2. सभी सूचना पट्ट।
3. गार्ड पत्रावली।